शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध इंदिरा गांधी चिकित्सालय कोरबा जिला–कोरबा(छ.ग.)

वर्ष 2022–23 हेतु वाहन स्टैंड संचालन कार्य हेतु निविदा

निविदा कार्य	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध इंदिरा गांधी चिकित्सालय, कोरबा में वर्ष 2022–23 हेतु वाहन स्टैंड संचालन कार्य करने हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है।
निविदा प्रपत्र मूल्य	रू. 1000.00(रू. एक हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट **JT DIR CUM HOS SUPTD GMC KORBA** के नाम से देय होगा।
निविदा फार्म जारी दिनांक	15.04.2022 से कार्यालयीन समय पर
निविदा फार्म विक्रय करने की अंतिम तिथि	05.05.2022 शायं 5.00 बजे तक
निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	06.05.2022 दोपहर 3.00 बजे तक
निविदा फार्म खोले जाने की तिथि	06.05.2022 दोपहर 4.00 बजे तक
निविदा धरोहर राशि (न्यूनतम)	रू. 200000.00 (रू.दो लाख मात्र) का केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट **JT DIR CUM HOS SUPTD GMC KORBA** के नाम से देय होगा।

नीचे दिये गये समस्त बिन्दुओं का पूर्ण रूप से अध्ययन कर, नियत शर्तो का पालन करने उपरान्त ही निविदा पत्र की पूर्ति करें।

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध इंदिरा गांधी चिकित्सालय, कोरबा में वाहन स्टैंड संचालित करने हेतु सील बंद लिफाफा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निम्नांकित नियम व शर्तो पर निविदा आमंत्रित किया जाता है–

अर्हयता :– लिफाफा क्रमांक 01 जो टेक्निकल बिट क्र 01 को पूर्ण करता हो।

नियम व शर्ते

1. वाहन स्टैंड शुल्क (12 घण्टे के लिए) (प्रातः 08 बजे से शायं 08 बजे तक) निम्नानुसार होगा:–

   क. प्रति सायकल – रू. 5.00
   ख. प्रति मोटरसायकल – रू. 10.00
   ग. प्रति तीन पहिया वाहन/ऑटो – रू. 15.00
   घ. प्रति चार पहिया वाहन – रू. 20.00

   समयावधि से अधिक होने पर स्टैण्ड शुल्क अतिरिक्त 12 घण्टे का देय होगा। अस्पताल में ऑटो, प्राइवेट एम्बुलेंस व अन्य कोई भी वाहन से ड्रॉप कर तत्काल प्रस्थान करने पर पर्किंग शुल्क अदा नहीं किया जावेगा।
2. चिकित्सालय परिसर में वाहन स्टैंड संचालन कार्य की ठेका अवधि निविदा सफल होने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए होगी। आवश्यकता होने पर क्रय समिति के निर्णय उपरांत अवधि बढ़ाई जा सकती है।
3. निविदादाता का ID Proof एवं Address Proof होना अनिवार्य है।
4. निविदादाता का GST मे पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. GST Clearance मार्च 2022 तक होना अनिवार्य है। (ऑनलाईन प्रमाण कापी मान्य)
6. वित्तीय वर्ष 2020–21 का Proprietor's Income Tax Filing पूर्ण होना अनिवार्य है। (ऑनलाईन प्रमाण कॉपी मान्य)
7. निविदादाता फर्म का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 5,00,000.00 (रू. पांच लाख मात्र) होना अनिवार्य है।जिसके लिए CA द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा ।
8. वाहन स्टैंड संचालन कार्य में अनुभव होने पर वरीयता कम में प्राथमिकता दी जायेगी।
9. निविदादाता को निविदा फार्म के साथ निविदा धरोहर की राशि रू. 2,00,000.00 (रू. दो लाख रूपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट संयुक्त संचालक सह् अस्पताल अधीक्षक कोरबा के नाम से जमा करना अनिवार्य है।
10. निविदादाता को चिकित्सालय परिसर में वाहन स्टैंड शुल्क का बोर्ड एवं ध्वनि प्रदूषण निषेध का बोर्ड तैयार कर लगाना अनिवार्य होगा व स्टैंड शुल्क लेने उपरान्त संबंधितों को रसीद काटकर देना अनिवार्य होगा। शुल्क हेतु छपाये गये रसीद में रसीद संख्या होना अनिवार्य होगा।
11. निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं की जावेगी।
12. निविदा स्वीकृति पर 02 माह का समतुल्य किराया अग्रिम के रूप में जमा करना होगा जिसे निविदा समाप्ति पूर्व के अंतिम 03 माह में समायोजित किया जाएगा।
13. निविदा का न्यूनतम शासकीय बोली रू. 3,00,000.00 (तीन लाख रूपये मात्र) से प्रांरभ होगी।
14. निविदा स्वीकृति पश्चात् कार्य ना करने पर निविदादाता द्वारा जमा की गई राशि राजसात कर ली जाएगी।
15. वाहन स्टैंड का मासिक किराया निविदा राशि का समानुपातिक भाग होगा जिसे प्रतिमाह दिनांक 01 से 05 तारीख के भीतर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिमाह किराया जमा नहीं करने की स्थिति में बिना पूर्व सूचना दिये ठेका निरस्त माना जायेगा।

निविदादाता द्वारा जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जायेगी जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

16. वाहन स्टैंड में रखे वाहनों की देख–रेख की जवाबदारी ठेकेदार पर 24X7 घण्टे के लिए होगी साथ–साथ वाहन स्टैंड में रखे वाहनों जैसें – चार पहिए वाहन, मोटर सायकल या सायकल को निर्धारित स्थान पर सुव्यवस्थित रूप से रखने के साथ–साथ वाहनों की देख–रेख की पूर्ण जवाबदारी स्टैंड ठेकेदार की रहेगी।
17. अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मेडिकल कॉलेज के छात्र/छात्राओं के वाहन पार्किंग निःशुल्क होगी, एवं इनके वाहनों की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी।
18. दिव्यांग लोगो के लिए वाहन पर्किंग निशुल्क होगी।
19. स्टैंड से किसी भी प्रकार के वाहन या सायकल चोरी या टूट–फूट होने की स्थिति में वाहन मालिक के पास वाहन पार्किंग की रसीद के साथ आर.सी. बुक, जीवित इंश्योरेन्स एवं वैध लाईसेंस होना अनिवार्य है एवं क्षतिपूर्ति की राशि इंश्योरेन्स क्लेम द्वारा प्राप्त राशि एवं उक्त वाहन की तात्कालिक बाजार मूल्य (इंश्योरेन्स कम्पनी द्वारा निर्धारित) के अंतर की राशि ही ठेकेदार द्वारा वहन की जायेगी ।
20. स्टैंड संचालन में कार्यरत कोई भी कर्मचारी नशे की हालत में कार्य नहीं कर सकता। नशे की हालत में पाये जाने पर ठेकेदार द्वारा तत्काल उस कर्मचारी को कार्य से बाहर करते हुए उसके स्थान पर नया कर्मचारी लगाना होगा।
21. चिकित्सालय में आने वाले कोई भी जनसाधारण व मरीज के परिजनों से स्टैंड में कार्यरत कर्मचारी या स्वयं ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार का विवाद एवं दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा चिकित्सालय परिसर में शालीनतापूर्वक व्यवहार रखा जाना होगा। विवाद एवं दुर्व्यवहार करते पाये जाने पर तत्काल उस कर्मचारी का कार्य से बाहर करना होगा।
22. ऐसे व्यक्ति जो विवादित हो जिन पर पुलिस केस मुकदमा चल रहा हो उसे वाहन स्टैंड संचालन संबंधित कार्य में रखना वर्जित है। अतः ठेकेदार को कर्मचारी रखने से पूर्व पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर एवं पुलिस वेरिफिकेशन कराने के बाद कार्य पर रखना होगा।
23. किसी भी समय वाहन स्टैंड में असमाजिक तत्व एवं ऐसी हरकत पाये जाने पर ठेकेदार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा।
24. चिकित्सालय परिसर में एम्बुलेंस को छोड़कर आटो, एवं अन्य भारी वाहनों का बिना अनुमति प्रवेश एवं पार्किंग वर्जित है किसी भी प्रकार की शिकायत पाये जाने पर ठेकेदार के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
25. अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कारण बताए निविदा/ठेका निरस्त कर सकता है। इस पर किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।
26. निविदा संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में चिकित्सालय प्रबंधन का निर्णय सर्वमान्य होगा।
27. निविदादाता को उपरोक्त वर्णित नियम व शर्तो को पालन करने का शपथ पत्र रू. 50/– के स्टाम्प पर देना अनिवार्य होगा।

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
शास. चिकि. महा. संबद्ध चिकित्सालय
कोरबा (छ.ग.)